

कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा


अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं०-०२/२०१८-१९

(संशोधित)

1. विज्ञापन दाता का नाम :- परियोजना पदाधिकारी, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा
2. परिमाण विपत्र की बिक्री की तिथि :- दिनांक 12.03.2019 अपराह्न 3:00 तक
3. निविदा प्राप्ति की तिथि :- दिनांक 14.03.2019 अपराह्न 3:00 तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक 14.03.2019 को अपराह्न में 4.00 बजे
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :- आई०टी०डी०ए० कार्यालय, जामताड़ा।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- आई०टी०डी०ए० कार्यालय, जामताड़ा।
7. कार्य का विवरण :-


क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र की मूल्य (रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	Renovation Work of S.T.Boys Hostel Building at Chakari in under block-Jamtara, Dist.-Jamtara	7,32,900.00	15,000.00	1,250.00	3 माह
2	Supply fitting and fixing Electrification Work of S.T.Boys Hostel Building at Chakari in under block-Jamtara, Dist.-Jamtara	2,36,500.00	5,000.00	750.00	3 माह

8. निविदा की शर्तें www.jamtara.nic.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।


परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
जामताड़ा।

ज्ञापांक.....367...../आई.टी.डी.ए., जामताड़ा, दिनांक.....02-03-19.....

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उपरोक्त अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन सुनिश्चित
करायी जाय।


परियोजना निदेशक,
समेकित जनजाति विकास अभिकरण,
जामताड़ा।

कार्यालय : समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जामताड़ा

निविदा की नियम एवं शर्तें

(निविदा सूचना सं०-02/2018-19)

1. प्रत्याशी निविदाकार को भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड में समुचित श्रेणी में विधिवत पंजीकृत होना अनिवार्य है। समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. परिमाण विपत्र की स्वीकृति के आधार पर निविदा की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि में परिवर्तन हो सकता है।
3. परिमाण विपत्र प्राप्त करते समय निविदाकारों को सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र अद्यतन वाणिज्य कर सफाया प्रमाण-पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र एवं आयकर पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। उक्त सभी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। बाद में किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र समर्पित करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा। साथ ही निविदा के साथ संवेदक को इन कागजातों की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. कार्य आवंटन के उपरान्त संवेदक को लेबर लाईसेंस हेतु इस कार्यालय द्वारा फारम-V निर्गत किया जाएगा। तदुपरान्त उस कार्य विशेष हेतु श्रम विभाग द्वारा संवेदक को निर्गत लेबर लाईसेंस कार्य प्रारंभ होने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
5. सभी वांछित कागजातों की अभिप्रमाणित प्रति के समर्पित करने पर ही संवेदक को परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा। साथ ही निविदा डालते समय भी उन्हें परिचय पत्र अपने साथ रखना होगा।
6. उद्धृत परिमाण विपत्र के मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) के समतुल्य भारतीय स्टेट बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा जिसकी निर्गत तिथि निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि के बाद होनी चाहिए।
7. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र में यथा अंकित राशि के अनुसार निविदा अभिलेख के साथ, अग्रधन के रूप में छः वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र का अद्यतन निर्गम अथवा पाँच वर्षीय/तीन वर्षीय समावधि जमा के रूप में, जो झारखण्ड राज्य के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर से निर्गत एफ०डी०/ एन०एस०सी० हो तथा परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए., जामताड़ा (Project Director, I.T.D.A., Jamtara) के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञप्ति (Pledged) हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को निर्देश दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व स्वयं अपने खर्च पर कार्य स्थल जाकर स्थल की स्थिति एवं सामग्रियों की उपलब्धता एवं दूरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। बाद में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।
10. संवेदक को, सरकार द्वारा स्वीकृत अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित कार्यावधि के अन्दर मजदूरी बढ़ने पर उन्हें अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। निर्माण कार्य के लिए संवेदक को सभी सामग्रियों एवं उपस्करों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
11. निविदादाता को अपना दर परिमाण विपत्र में निर्धारित स्थान में शब्दों एवं अंकों में दर्ज करना होगा। निविदादाता परिमाण विपत्र में दस प्रतिशत कम तक अपना दर अंकित कर सकते हैं, 10 (दस) प्रतिशत से कम सीमा से आगे कम दर मान्य नहीं होगा।
12. आयकर, बिक्री कर, श्रम उपकर आदि की कटौती सरकार द्वारा समय-समय पर लागू-प्रवृत्त दर पर की जायेगी।

13. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सिमेंट, छड़, चिप्स, ईट आदि का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं उनका रख-रखाव तथा सुरक्षा व्यवस्था निजी खर्च पर उन्हें करनी होगी एवं कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्ट के अनुरूप करना होगा।
14. किये गये कार्यों का भुगतान निधि की उपलब्धता पर होगी।
15. जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
16. सरकार द्वारा विभिन्न संहिताओं, संकल्पों, अध्यादेशों एवं परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर निर्गत अनुदेश एवं कार्य पर लागू होंगे तथा संवेदकों को इसका पालन करना बाध्यकारी होगा।
17. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों एवं किये गए कार्य का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र एवं स्वामित्व सफाया प्रमाण-पत्र के बिना विपत्र का अंतिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरांत सबलेट करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
19. प्रत्येक निविदा के साथ एक Forwarding Letter जिसमें अग्रधन राशि निबंधन सं० आदि की विवरणी के साथ निविदा में डाले गए सभी अन्य कागजातों की विषय सूची (Index) पृष्ठांकित कर जमा करना होगा।
20. संवेदक को निविदा के साथ समर्पित परिमाण विपत्र में स्पष्ट लिखावट एवं अन्य कागजात सुस्पष्ट, स्वहस्ताक्षरित तथा अभिप्रमाणित संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा को रद्द करने/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

हण-

परियोजना निदेशक,

समेकित जनजाति विकास अभिकरण,

जामताड़ा।

ज्ञापांक.....367/आई.टी.डी.ए., जामताड़ा, दिनांक.....02-03-19

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., जामताड़ा को सूचनार्थ एवं जिला के पोर्टल www.jamtara.nic.in पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक,

समेकित जनजाति विकास अभिकरण,

जामताड़ा।